क्रम सं०–256

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 सितम्बर, 2013
आश्विन 8, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1052/79-वि-1–13-1(क)18-2013
लखनऊ, 30 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 पर दिनांक 27 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध शिक्षा में अध्ययन, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी उद्भवन, उत्पादन सम्बन्धी नवाचार एवं विस्तार कार्य को सुकर बनाने एवं प्रोन्नत करने के लिए मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्गठित करने और गोरखपुर में उसे एक गैर-सम्बद्धक अध्यापन और अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक अन्य विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूँकि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज उत्तर प्रदेश सरकार की एक संस्था है जो गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ से सम्बद्ध है;

और चूँकि उक्त संस्था को विश्वविद्यालय की प्रास्थिति प्रदान करना समीचीन है जिससे उसको अध्यापन और अनुसंधान केन्द्र के रूप में और अधिक दक्षतापूर्वक कार्य करने हेतु समर्थ बनाया जा सके ताकि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान और प्रबन्ध के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, उद्योग सुसंगत अनुसंधान और नवीनता को प्रोत्साहित किया जा सके और राष्ट्र तथा समाज की सेवा करने के लिए वेहतर कार्यक्षेत्र और अवसर का लाभ उठाया जा सके ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 कहा जायेगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2-जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में -

(क) "विद्या परिषद्" का तात्पर्य धारा 24 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है ;

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारिवृंद" का तात्पर्य कर्मचारी की ऐसी श्रेणीयों से है जिसे परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया हो;

(ग) "प्रबंध बोर्ड" का तात्पर्य धारा 22 के अधीन गठित विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड से है ;

(घ) "कैम्पस" का तात्पर्य शिक्षण या शोध या दोनों के लिए व्यवस्था करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित इकाई से है;

(ङ) "कुलाधिपति", "कुलपति", और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, "कुलपति" और प्रति-कुलपति से है;

(च) "सभा" का तात्पर्य धारा 20 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की सभा से है;

(छ) "विभाग" का तात्पर्य धारा 27 के उपबंध के अधीन गठित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन विभाग से है;

(ज) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी से है;

(झ) "विद्यमान कर्मचारी" का तात्पर्य पूर्ववर्ती मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के किसी कर्मचारी से है, जो धारा 5 की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय का कर्मचारी हो जाता है;

(ञ) "वित्त समिति" का तात्पर्य धारा 26 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;

(ट) "छात्र निवास" या "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास की या संगठित जीवन की किसी इकाई से है;

(ठ) "अवचार" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित किसी अवचार से है;

(ड) "विहित" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) "कुल-सचिव" का तात्पर्य धारा 15 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुल-सचिव से है;

(ण) "परिनियम", "अध्यादेश", या "विनियम" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश या विनियम से है;

(त) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन स्थापित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से है;

(थ) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने या अनुसंधान कार्य के संचालन के लिए नियुक्त किया जाए, और परिनियम द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया गया हो।

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

3-(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से, एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा, जिसमें कुलाधिपति, कुलपति, सभा के प्रथम सदस्य, प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय की वित्त समिति और विद्या परिषद् और ऐसे समस्त व्यक्ति जिन्हें आगे ऐसे पद पर नियुक्त किया जाय या सदस्य के रूप में जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण करते रहें, सम्मिलित होंगे।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

(3) विश्वविद्यालय अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबंध पर विशेष ध्यान देते हुए उच्चतर शिक्षा के विकासशील क्षेत्रों में अध्यापन और अनुसंधान कार्य में रत रहेगा एवं इन क्षेत्रों और सम्बद्ध सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अन्तर-शाखीय शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन देगा ।

विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव

4-इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही :-

(क) किसी विधि (इस अधिनियम से भिन्न) में या किसी संविदा या अन्य लिखत में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को किया गया कोई सन्दर्भ विश्वविद्यालय को किया गया सन्दर्भ समझा जायेगा;

(ख) मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर की या उससे सम्बन्धित समस्त चल और अचल सम्पत्ति विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगी;

(ग) मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के समस्त अधिकार और दायित्व विश्वविद्यालय को अन्तरित कर दिये जायेंगे और वे विश्वविद्यालय के अधिकार और दायित्व हो जायेंगे।

(घ) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति पेंशन, छुट्टी, आनुतोषिक, भविष्य निधि और अन्य मामलों के सम्बन्ध में उसी कार्यकाल तक, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबन्धन और शर्तों पर और उन्हीं अधिकारों, और विशेषाधिकारों के साथ विश्वविद्यालय में अपना पद और सेवा धारण करेगा जैसा वह इस अधिनियम के पारित न होने की दशा में धारण करता और वह इस प्रकार कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन समाप्त न कर दिया जाय या उसने विश्वविद्यालय के नियोजन सम्बन्धी निबन्धन एवं शर्तों के लिये विकल्प न दे दिया हो।

(ङ) इस अधिनियम के किन्ही अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के ऐसे वर्तमान छात्र जिन्होंने इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व क्लास ज्वाइन किये हों, वे अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम और अध्ययन कार्यक्रम गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय के नामांकन और सम्बद्धता के अधीन जारी रखेंगे जो उनके लिए परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके द्वारा वर्तमान में वहाँ अनुसरण किये जा रहे पाठ्यक्रमों और अध्यय कार्यक्रमों के पूर्ण कर लेने पर उन्हें उपाधियाँ प्रदान करेगा।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य

5-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

(1) अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी प्रबंध और सहबद्ध क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए व्यापक उच्चतर शिक्षा का विकास करना एवं उसे प्रदान करना;

(2) अध्ययन को सुकर बनाना और प्रोत्साहन देना जिसमें उपाधियाँ, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों को प्रदान किया जायेगा।

(3) आधारभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्ध पर विशेष ध्यान देते हुए उच्च अध्ययन की व्यवस्था करना और अनुसंधान को प्रोत्साहन प्रदान करना;

(4) विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध एवं सहबद्ध क्षेत्रों और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना;

(5) एक परिवर्तन अभिकरण बनकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग के सम्बन्धित क्षेत्रों को इस प्रकार समर्थ बनाने में योगदान प्रदान करना कि वे अत्याधुनिक एवं उत्कृष्ट उत्पादों एवं सेवाओं का विकास कर सकें ।

(6) सुसंगत उद्योग बनना और भारत तथा विदेश में शैक्षणिक समुदाय पर प्रभाव बनाना;

(7) एक खुली संस्था बनकर विश्व के उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करना और वैश्विक रूप से पूर्णतः समेकित होना;

(8) प्रौद्योगिकी उद्यमिता, नवाचार एवं नव उत्पादन के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए नवाचार संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्कों, ज्ञान पार्कों और प्रौद्योगिकी ऊष्मायियों (इन्क्यूबेटर्स) की स्थापना करना;

(9) अभिभाषणों, संगोष्टियों, परिसंवादों, कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन करके राष्ट्रीय विकास में ज्ञान एवं प्रक्रिया एवं उनकी भूमिका का प्रसार करना;

(10) व्यावसायिक नैतिकता, अनुसंधान सत्यनिष्ठा, वैश्विक रूप से ग्राह्य व्यापार नीतिशास्त्र को प्रोन्नत करने एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सांस्कृतिक एवं नीतिपरक मूल्यों को प्रोन्नत करना एवं प्रोत्साहन देना;

(11) भारत एवं विदेश में उच्चतर ज्ञान और अनुसंधान की संस्थाओं से सम्पर्क करना;

(12) विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध से सम्बन्धित विषयों पर आवधिक पत्रिका, शोध प्रबन्ध, अध्ययन-लेख, पुस्तकें, रिपोर्ट, दैनिकी एवं अन्य साहित्य प्रकाशित करना;

(13) परीक्षाओं का आयोजन करना और उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना;

(14) विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध से सम्बन्धित अध्ययन एवं प्रशिक्षण परियोजनाओं के कार्य का दायित्व लेना;

(15) अध्ययन केन्द्रों और विभागों की स्थापना करना;

(16) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आनुषांगिक, आवश्यक या सहायक हों।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

6-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :-

(एक) विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, में शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान कार्यो तथा ज्ञान एवं कौशल की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(दो) ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों को डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र देना और परीक्षाओं, मूल्यांकन या परीक्षण की अन्य विधि के आधार पर उपाधियों एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना;

(तीन) मानद् उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना;

(चार) विस्तार सेवाएं आयोजित करना और उनका उत्तरदायित्व लेना;

(पाँच) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, सह-आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य अध्यापन एवं शैक्षिक पद सृजित एवं संस्थित करना और ऐसे तथा अन्य शैक्षिक एवं अनुसंधान सम्बन्धी पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(छः) व्यक्तियों को आचार्यो, सह-आचार्यो या सहायक आचार्यो के रूप में एवं अन्य लोगों को विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता प्रदान करना;

(सात) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शैक्षिक या प्रशासनिक स्टाफ के अध्यापकों और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तो एवं निबन्धनों के लिए प्रावधान करना;

(आठ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त करना;

(नौ) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय एवं अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियाँ करना;

(दस) किसी अन्य विश्वविद्यालय, उच्चतर शिक्षा के प्राधिकरण या संस्था से और किसी विदेशी विश्वविद्यालय के मामले में राज्य सरकार के अनुमोदन से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए सहकार या सहयोग करना अथवा सहयुक्त होना जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे।

(ग्यारह) शिक्षण प्रदान करने या अनुसंधान का पर्यवेक्षण करने या दोनों कार्य करने के लिए किसी संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के सहकार, सहयोग या सहयोजन को विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध करना;

(बारह) शैक्षिक कृत्यों के निष्पादन के लिए शैक्षिक नियामक का गठन करना और उन्हें विहित रीति से पारिश्रमिक प्रदान करना;

(तेरह) केन्द्रीय सुविधाए यथा कम्प्यूटर केन्द्र साधन विनियोग केन्द्र, केन्द्रीय कार्यशाला, केन्द्रीय पुस्तकालय, प्रेक्षागृह आदि स्थापित करना;

(चौदह) विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ स्थापित करना;

(पन्द्रह) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ, जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, व्यवस्था करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानकों को अवधारित करना जिसके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या चयन की कोई अन्य पद्धति भी हो सकती है;

(सत्रह) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(अठारह) फीस और अन्य प्रभार विहित करना, मांगना और उनके भुगतान को प्राप्त करना;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण के संवर्धन की व्यवस्था करना;

(बीस) छात्राओं के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसी विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय के छात्रों के आचरण को विनियमित करना;

(बाईस) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कार्य एवं आचरण को विनियमित करना;

(तेईस) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना तथा उसका पालन कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे आनुशासनिक उपाय करना जैसा आवश्यक समझा जाय;

(चौबीस) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण के सम्बर्धन के लिए व्यवस्था करना;

(पच्चीस) व्यक्तियों से धर्मदान, दान और उपहार प्राप्त करना और पीठों, संस्थाओं, भवनों एवं तत्सदृश को ऐसे नाम प्रदान करना जैसा विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्तियों के नाम से अवधारित करे जिनके द्वारा विश्वविद्यालय को दिये गये उपहार या दान विश्वविद्यालय द्वारा विनिश्चित की गयी धनराशि के समतुल्य हो;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय के लिए संग्रह निधि का सृजन करना और उसे भूतपूर्व छात्रों, उद्योगों और अन्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, जिन्हें विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाय, से प्राप्त दोनों को पूर्णतः या अंशतः अन्तरित करना और ऐसे संग्रह निधि के प्रयोग के ढंग का विनिश्चय करना;

(सत्ताईस) सरकार की सहायता से अर्जित भूमि या निर्मित भवन को छोड़ कर, जिसके मामले में सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, किसी सम्पत्ति चाहे चल हो या अचल, जिसके अन्तर्गत न्यास या विन्यास सम्पत्तियाँ भी है, का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(अट्ठाईस) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की सम्पत्ति पर प्रतिभूति पर उधार लेना;

(उनतीस) विषयों, विशिष्टीकरण के क्षेत्रों, शिक्षा के स्तरों और प्राविधिक जनशक्ति के प्रशिक्षण, जो लघुकालीन और दीर्घकालीन दोनों आधार का होगा, के अनुसार आवश्यकता का निर्धारण करना और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम आरम्भ करना;

(तीस) पूरक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उद्योग और अन्य विशेषज्ञ अभिकरणों का सहयोग प्राप्त करने के उपाय करना;

(इकतीस) अपने कर्मचारियों के लिए नीति संहिता, आचार संहिता और आनुशासनिक नियम और छात्रों के लिए आनुशासनिक संहिता निर्धारित करना; और

(बत्तीस) ऐसे अन्य सभी कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हो या विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक या सहायक हों।

विश्वविद्यालय सभी वर्ग जातियों और मतावलम्बियों के लिए होगा

7-(1) विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग और किसी भी वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधि सम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश किये जाने के लिए या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने हेतु हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय या राजनीतिक विचार की कोई परीक्षा जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे;

(2) इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, समाज के निर्बल वर्गों के व्यक्तियों और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति या प्रवेश के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने से नहीं रोकेगी।

विश्वविद्यालय में अध्यापन

8-(1) विश्वविद्यालय की उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में अध्यापन का संचालन नियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अनुसार किया जायेगा;

(2) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या और ऐसे पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या के अध्यापन की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जाय।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति-कुलपति;

(घ) संकायाध्यक्ष;

(ङ) कुलसचिव;

(च) वित्त नियंत्रक;

(छ) परीक्षा नियंत्रक और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं।

विश्वविद्यालय का कुलाधिपति

10-(1) उत्तर प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा ।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का अध्यक्ष होगा और यदि वह उपस्थित हो, तो सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) मानद उपाधि प्रदान करने के प्रत्येक प्रस्ताव के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन से सम्बन्धित ऐसी सूचना या अभिलेख जिनकी कुलाधिपति द्वारा माँग की जाय, प्रस्तुत करे।

(5) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी, जैसी विहित की जायं।

विश्वविद्यालय का कुलपति

11-(1) कुलपति अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रबंध के किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ऐसा विद्वान होगा, जिसके पास उच्चतर शिक्षा के परास्नातक उपाधि स्तरीय संस्थान में प्रशासनिक अनुभव हो।

(2) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन नामों वाले एक पैनल से की जाएगी जिसकी संस्तुति एक अन्वेषण-सह-चयन समिति द्वारा की जाएगी जिसमें कुलाधिपति का एक नाम निर्देशिती, अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या उसका नामनिर्देशिती जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो और प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार, जो समिति का संयोजक भी होगा, सम्मिलित होंगे। अन्वेषण और चयन की प्रकिया समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(3) कुलपति के रूप में चयन के लिए केवल ऐसे व्यक्तियों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। कुलपति अपना पद तीन वर्ष की अवधि के लिये या 68 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, धारण करेगा।

(4) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(5) कुलपति की नियुक्ति की निबन्धन, शर्तें, उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी विनिर्दिष्ट या सामान्य आदेश द्वारा अवधारित की जाय।

(6) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जान-बूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इंकार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकता है।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जाँच के अनुध्यात रहने पर कुलाधिपति अग्रतर आदेश दिये जाने तक यह आदेश दे सकते हैं कि,-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों के निष्पादन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिए वह उपधारा (5) के अधीन अन्यथा हकदार था।

(ख) कुलपति पद के कृत्यों का निष्पादन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य

12-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और,-

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा की बैठकों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र प्रकाशित किये जायं और विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र उचित दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त हो।

(2) वह प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) उसको विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के उपबंधों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे।

(5) कुलपति को सभा, प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद, और वित्त समिति की बैठक बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी, परन्तु यह कि वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है।

(6) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक या गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति से भिन्न, जहाँ कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों, उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे निष्प्रभावी कर सकता है या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो ऐसी कार्यवाही के विरूद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चिय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त प्रबन्ध बोर्ड कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि या उपान्तरित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(7) उपधारा (6) की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(8) कुलपति ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाय।

विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति

13-(1) कुलपति, यदि वह आवश्यक समझे, प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से प्रतिकुलपति की नियुक्ति कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति कुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) प्रतिकुलपति ऐसे मामलों के सम्बन्ध में कुलपति की सहायता करेगा, जिन्हें कुलपति समय-समय पर अपनी ओर से विनिर्दिष्ट करे और कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय की बैठक की अध्यक्षता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें कुलपति द्वारा उसे सौंपा या प्रत्यायोजित किया जाय।

(5) प्रतिकुलपति को यथाविहित मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

संकायाध्यक्ष

14-प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कुलसचिव

15-(1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसा विहित की जाय।

(3) कुलसचिव, को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह प्रबंध बोर्ड का पदेन सचिव होगा। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायं या प्रबंध बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(5) कुलसचिव को विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक, सिवाय उसके जो विहित किया जाय, न तो दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

वित्त नियंत्रक

16-(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त नियंत्रक होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी तथा उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त नियंत्रक, प्रबंध बोर्ड के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण और वितरित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) उसे प्रबंध बोर्ड की कार्यवाहियों में बोलने तथा उसमें अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) वित्त नियंत्रक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे-

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान से भिन्न) कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना, जो इस अधिनियम के उपबन्धों या किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के निबंधनों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबंध किया जा रहा है।

(5) वित्त नियंत्रक की पहुँच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी और वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो ।

(6) वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(7) वित्त नियंत्रक की अन्य शक्तियाँ तथा कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायं।

परीक्षा नियंत्रक

17-(1) कुलपति, आचार्यों में से किसी एक को परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो एक आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और उसको विहित दरों पर मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य संपादन के लिए आवश्यक हों।

(4) वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायं या प्रबंध बोर्ड अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(5) वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या संस्थान से, ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(6) परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(7) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबंध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

अन्य अधिकारी

18-विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उपलब्धियाँ, शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किए जायं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

19-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-

(क) सभा;

(ख) प्रबंध बोर्ड;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं ।

सभा

20-(1) विश्वविद्यालय की सभा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) मौलिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध की शाखा से पाँच विख्यात व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे;

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (वित्त) पदेन;

(ङ) उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (उच्च शिक्षा) पदेन;

(च) उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (प्राविधिक शिक्षा) पदेन;

(छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि;

(ज) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1987) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक प्रतिनिधि ।

(2) सभा के नाम निर्दिष्ट सदस्यों, पदेन सदस्यों से भिन्न, की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति अपना पद धारण करने या नियुक्त रहने के कारण सभा का सदस्य बन गया हो वहाँ उसकी सदस्यता उसके द्वारा उक्त पद धारण न करने या नियुक्त न रह जाते ही समाप्त हो जायेगी।

(4) सभा का कोई सदस्य सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह त्याग-पत्र दे देता है या विकृत चित्त का हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी दांडिक अपराध लिए दोष सिद्ध ठहरा दिया जाता है। कोई सदस्य जो कुलपति से भिन्न हो, सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्ण कालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह पदेन सदस्य न होने पर कुलाधिपति की अनुमति के बिना सभा की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहता है।

(5) पदेन सदस्य से भिन्न, सभा का सदस्य कुलाधिपति को सम्बोधित पत्र के द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और उसके द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार किये जाते ही ऐसा त्याग-पत्र प्रभावी हो जायेगा।

(6) सभा में हुई कोई रिक्ति सम्बन्धित नामांकन प्राधिकारी द्वारा किये गये नामांकन द्वारा भरा जायेगा और रिक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसा नामांकन निष्प्रभावी हो जाएगा।

सभा की शक्तियाँ कृत्य और अधिवेशन

21-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभा, विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करेगा और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपायों का सुझाव देगा। सभा की अन्य शक्तियाँ और कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात-

(क) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं तथा ऐसे लेखाओं पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ख) कुलाधिपति को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जायें, सलाह देना;

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जैसा निर्धारित किया जाय।

(2) सभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार होगा।

(3) सभा का वार्षिक अधिवेशन ऐसे दिनांक को होगा जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत किया जाय, जब तक कि किसी वर्ष के संबंध में सभा द्वारा कोई अन्य दिनांक नियत न कर दिया गया हो और सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कुलाधिपति द्वारा, जब वह उपस्थित हो, किया जायेगा।

(4) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट एवं साथ में वार्षिक लेखा यथा संपरीक्षित तुलन पत्र को कुलपति द्वारा सभा के समक्ष उसके वार्षिक अधिवेशन में रखा जायेगा ।

(5) वार्षिक अधिवेशन के अतिरिक्त, सभा का अधिवेशन कुलाधिपति द्वारा या कुलपति द्वारा अपनी ओर से या सभा के कम से कम आधे सदस्यों के अनुरोध पर बुलाया जा सकता है।

(6) सभा के प्रत्येक अधिवेशन के लिए-

(क) सामान्यतः 15 दिनांक की सूचना दी जायेगी;

(ख) सभा की नामावली पर विद्यमान सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(ग) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि सभा द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हों तो अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का अतिरिक्त रूप में एक निर्णायक मत होगा।

(घ) सदस्यों के मध्य राय की भिन्नता की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी।

(7) यदि सभा द्वारा अत्यावश्यक कार्यवाही आवश्यक हो जाय, तो कुलपति सभा के सदस्यों को पत्र परिचालित करके कार्य के संचालन की अनुमति दे सकते हैं। इस प्रकार की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक सभा के सदस्यों के बहुमत की सहमति न प्राप्त हो जाय। इस प्रकार की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में सभा के सभी सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जायेगा यदि सम्बन्धित प्राधिकारी कोई विनिश्चय करने में असमर्थ रहता है तो मामले को कुलाधिपति को सन्दर्भित कर दिया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

प्रबन्ध बोर्ड

22-(1) प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा और इस रूप में उसके पास इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन वे समस्त शक्तियाँ होगीं जो विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये आवश्यक हैं और उक्त प्रयोजन के लिये एवं तद्धीन प्रदत्त विषयों के सम्बन्ध में भी अध्यादेश एवं विनियम बना सकता है।

(2) प्रबंध बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय का कुलपति ;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्रबंध शाखा के तीन विख्यात व्यक्ति जो सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होंगे;

(ग) विश्वविद्यालय के दो आचार्य, जो प्रबंध बोर्ड की संस्तुति पर सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष जो प्रबंध बोर्ड की संस्तुति पर सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होंगे;

(ङ) किसी उद्योग संख्या का एक प्रतिनिधि जो सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा;

(च) सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (वित्त)- पदेन;

(छ) सरकार के प्रमुख सचिव या सचिव (उच्च शिक्षा)- पदेन;

(ज) सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (प्राविधिक शिक्षा)- पदेन;

(झ) ऐसे अन्य सदस्य या सदस्यगण जो विहित किये जायें।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण प्रबन्ध बोर्ड का सदस्य बन जाता है, वहाँ उसकी सदस्यता उसके द्वारा उक्त पद धारण न करने या नियुक्त न रह जाते ही समाप्त हो जायेगी।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न प्रबन्ध बोर्ड के नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(5) प्रबन्ध बोर्ड का कोई सदस्य सदस्य नही रह जाएगा, यदि वह त्याग-पत्र दे देता है या विकृत चित्त का हो जाता है या दीवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी दाण्डिक अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहरा दिया जाता है। कोई सदस्य, जो कुलपति, आचार्य या संकायाध्यक्ष से भिन्न हो, सदस्य नहीं रह जाएगा यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह पदेन सदस्य न होने पर कुलपति की अनुमति के बिना प्रबन्ध बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहता है।

(6) पदेन सदस्य से भिन्न प्रबन्ध बोर्ड का सदस्य कुलपति को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और कुलपति द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार किये जाते ही ऐसा त्याग-पत्र प्रभावी हो जायेगा।

(7) प्रबन्ध बोर्ड में हुई कोई रिक्ति सम्बन्धित नामांकन प्राधिकारी द्वारा किये गये नामांकन द्वारा भरी जायेगी और शक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसा नामांकन निष्प्रभावी हो जायेगा।

प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और अधिवेशन

23-(1) प्रबन्ध बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक प्राधिकारी होगा और इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस रूप में उसके पास वह समस्त शक्तियाँ होंगी जो विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए आवश्यक हैं और वह उक्त प्रयोजन के लिए अध्यादेश और विनियम बना सकता है ।

(2) प्रबन्ध बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :-

(क) विभिन्न शैक्षिक विभागों, विद्यालयों और अनुसंधान केन्द्रों के कार्यकरण का आवधिक पुनर्विलोकन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और प्रयोजनों के अनुसार कार्य कर रहे हैं और आवश्यक समझे जाने पर सुधार के लिए निर्देश देना;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अनुदेश और अनुसंधान विहित मानकों को पूरा करते हैं और विश्वविद्यालय के स्नातक उच्चतर शिक्षा के लिए लाभप्रद सेवायोजन या अवसर प्राप्त करने के योग्य हैं और इस सम्बन्ध में आवधिक रूप से प्रगति का पुनर्विलोकन करना;

(ग) निम्नलिखित को सभा के समक्ष उसके वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत करना :-

(एक) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट; और

(दो) वार्षिक लेखा;

(घ) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेश, सम्पत्तियों, कारबार और अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबन्ध एवं विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिए समितियों का गठन करना और विश्वविद्यालय की ऐसी समितियों या ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें वह उचित समझे, शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना;

(ङ) विश्वविद्यालय की किसी सम्पत्ति, जिसमें अप्रयुक्त आय भी है, को भारत में अचल सम्पत्ति में या उसके क्रय में निवेश करना एवं साथ में उसी प्रकार उसमें परिवर्तन करने की शक्ति रखना;

(च) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उसमें परिवर्तन करना, उसे कार्यान्वित और निरस्त करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारी नियुक्त करना जैसा वह उचित समझे;

(छ) विश्वविद्यालय के कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर एवं साधित्र और अन्य साधन उपलब्ध कराना;

(ज) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की किन्हीं शिकायतों पर विचार करना, न्याय निर्णयन करना और यदि वह उचित समझे तो उनको दूर करना;

(झ) सरकार के अनुमोदन से संस्थान में शैक्षणिक और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(ञ) विद्या परिषद से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, उपलब्धियों और यात्रा एवं अन्य भत्तों का निर्धारण करना;

(ट) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना;

(ठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो आवश्यक समझे जायं या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किये जायं ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा और ऐसी बैठकों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की नोटिस दी जाएगी।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की बैठक कुलपति के अनुदेश से या प्रबन्ध बोर्ड के कम से कम पाँच सदस्यों के अनुरोध पर कुलसचिव द्वारा बुलाई जाएगी।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चयनित किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

(6) प्रबन्ध बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(7) बोर्ड के समस्त विनिश्चय किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत की राय के आधार पर किये जायेंगे। प्रबन्ध बोर्ड के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि मत बराबर-बराबर हो तो, यथास्थिति, प्रबन्ध बोर्ड के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास अतिरिक्त रूप से एक निर्णायक मत होगा।

(8) यदि प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अत्यावश्यक कार्यवाही आवश्यक हो जाय तो कुलपति प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों को पत्र परिचालित करके कार्य के संचालन की अनुमति दे सकते हैं। इस प्रकार की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नही की जाएगी जब तक कि प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के बहुमत की सहमति न प्राप्त हो जाय। इस प्रकार की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रबन्ध बोर्ड के सभी सदस्यों को संसूचित किया जायेगा। यदि सम्बन्धित प्राधिकारी कोई विनिश्चय करने में असमर्थ रहता है तो मामले को कुलाधिपति को संदर्भित कर दिया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

विद्या परिषद्

24-(1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उसका नियंत्रण और विनियमन करेगी और विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियाँ का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायं।

(2) विद्या परिषद् को विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर प्रबन्ध तंत्र बोर्ड को सलाह देने का अधिकार होगा ।

(3) विद्या परिषद में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(क) कुलपति जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रबन्ध की शाखा से ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों या विद्वानों या उद्योगपतियों में से तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, और राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट हों;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नाम-निर्देशिती;

(घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक नाम-निर्देशिती;

(ङ) उद्योग संघ का एक नाम-निर्देशिती;

(च) विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष;

(छ) ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन आचार्य;

(ज) विद्यालयों/विभागों के समस्त प्रधान;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट अध्यापन कर्मचारीवृंद के दो सदस्य, जिनमें से एक क्रमशः सह-आचार्य और सहायक आचार्य का प्रतिनिधित्व करेगा;

(ट) ऐसे अन्य सदस्य जो विहित किये जायं।

(4) विद्या परिषद् के सदस्यों, पदेन सदस्यों से भिन्न, की पदावधि तीन वर्ष होगी।

विद्या परिषद् की शक्तियाँ, कृत्य और अधिवेशन

25-(1) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों तथा प्रबंध बोर्ड के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विद्या परिषद् शैक्षणिक कार्यकलापों और विश्वविद्यालय के मामलों का प्रबन्ध करेगी और विशिष्टतः उसके निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

(क) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा स्वयं को निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी मामले पर रिपोर्ट देना;

(ख) विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों के सृजन, समापन या वर्गीकरण और देय परिलब्धियों एवं उससे सम्बद्ध कर्तव्यों के संबंध में प्रबंध बोर्ड से सिफारिश करना;

(ग) संकायों के संगठन के लिये स्कीमें बनाना और उपान्तरित करना या उनका पुनरीक्षण करना और ऐसे संकायों को उनके अपने-अपने विषय प्रदान करना और किसी संकाय के समापन या उपविभाजन की समीचीनता अथवा एक संकाय को दूसरे संकाय से संयुक्त करने के सम्बन्ध में प्रबंध बोर्ड को रिपोर्ट भी प्रदान करना;

(घ) विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के शिक्षण और परीक्षा के लिये व्यवस्था की संस्तुति करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के भीतर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और ऐसे अनुसंधान पर समय-समय पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;

(च) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(छ) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए नीतियों का निर्धारण करना;

(ज) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों या संस्थाओं के डिप्लोमा और उनकी उपाधियों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालयों के प्रमाण-पत्रों, डिप्लोमा और उपाधियों के सम्बन्ध में उनकी समकक्षता का अवधारण करना;

(झ) प्रबंध बोर्ड द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुये अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति और अन्य पारितोषिक के लिये प्रतियोगिता हेतु समय, रीति और शर्तों का निर्धारण करना, और उनके लिये पुरस्कार की संस्तुति करना;

(ञ) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यकता हुयी, तो उनके हटाये जाने और उनकी फीस, उपलब्धियों और यात्रा एवं अन्य व्ययों के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रबंध बोर्ड से सिफारिश करना;

(ट) परीक्षाओं के संचालन और उनके आयोजन के दिनांक के लिये व्यवस्था की संस्तुति करना;

(ठ) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या उनका पुनर्विलोकन करना या ऐसा करने के लिये समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियों, सम्मान डिप्लोमा, लाइसेंस, पदनाम और सम्मान सूचक चिन्ह प्रदान या स्वीकृति करने के संबंध में संस्तुति प्रदान करना;

(ड) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पारितोषिक संस्तुति करना और विनियमों एवं ऐसी अन्य शर्तों जो पुरस्कारों से सम्बद्ध हो, के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना;

(ढ) निर्धारित पाठ्यक्रम के लिये पाठ्य विवरण का अनुमोदन करना निर्धारित या संस्तुत पाठ्य-पुस्तक की सूचियों को अनुमोदित या पुनरीक्षित करना और उन्हें प्रकाशित करना;

(ण) ऐसे परिपत्रों और पंजिकाओं को अनुमोदित करना जो अध्यादेशों और विनियमों द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों;

(त) विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने के लिये पाठ्यक्रम और पाठ्य-विवरण की रूपरेखा बनाने में पालन किये जाने वाले शिक्षा के वांछित मानकों को समय-समय पर तैयार करना;

(थ) शैक्षिक और अनुसंधान विषयक मामलों के सम्बन्ध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम और अध्यादेशों एवं तद्धीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों।

(2) विद्या परिषद् एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान उतनी बार बैठक करेगी जितनी बार आवश्यक हो, परन्तु बैठक तीन बार से कम नहीं होनी चाहिये।

(3) विद्या परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चयनित किसी सदस्य द्वारा की जायेगी।

(4) विद्या परिषद के एक तिहाई सदस्यों से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(5) विद्या परिषद के समस्त विनिश्चय किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत की राय के आधार पर किये जायेंगे। विद्या परिषद् के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि मत बराबर-बराबर हों तो, यथास्थिति, विद्या परिषद के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास अतिरिक्त रूप से एक निर्णायक मत होगा।

(6) यदि विद्या परिषद द्वारा आत्ययिक कार्यवाही अत्यावश्यक हो जाये तो विद्या परिषद् का अध्यक्ष, परिषद के सदस्यों को पत्र परिचालित करके कार्य के संचालन की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि विद्या परिषद् के सदस्यों के बहुमत की सहमति न प्राप्त हो जाये। इस प्रकार की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में विद्या परिषद के सभी सदस्यों को संसूचित किया जायेगा। यदि सम्बन्धित प्राधिकारी कोई विनिश्चय करने में असमर्थ रहता है तो मामले को कुलाधिपति को संदर्भित कर दिया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

वित्त समिति

26-(1) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा गठित एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) कुलपति - अध्यक्ष;

(ख) सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (वित्त)- पदेन;

(ग) सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव (प्राविधिक शिक्षा)- पदेन;

(घ) प्रबंध बोर्ड द्वारा उसके सदस्यों में से नाम-निर्दिष्ट दो अन्य सदस्य, जिनमें से कम से कम एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी न हो;

(ङ) विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

(च) वित्त नियंत्रक सदस्य सचिव होगा;

(छ) ऐसे अन्य सदस्य जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) उपधारा(1) के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य केवल तभी तक पद धारण करेंगे, जब तक वे प्रबंध बोर्ड के सदस्य बने रहते हैं;

(3) वित्त समिति के निम्नलिखित कृत्य और कर्तव्य होंगे :-

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट की परीक्षा और संविक्षा करना और प्रबंध बोर्ड को वित्तीय मामलों पर संस्तुति प्रदान करना;

(ख) नये व्यय के लिये प्रस्तावों पर विचार करना और प्रबंध बोर्ड को संस्तुति प्रदान करना;

(ग) ग्रेड के पुनरीक्षण वेतनमान के उच्चीकरण और उन मदों जो बजट में सम्मिलित नहीं हैं, से सम्बन्धित समस्त प्रस्तावों का परीक्षण प्रबंध बोर्ड द्वारा उन पर विचार किये जाने के पूर्व वित्त समिति द्वारा किया जायेगा;

(घ) विश्वविद्यालय के ऐसे वार्षिक लेखाओं और वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना जो वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये हों और अनुमोदन के लिये वित्त समिति के समक्ष रखे गये हों और तत्पश्चात् प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये हों;

(ङ) विश्वविद्यालय के आय और संसाधनों पर आधारित वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करना और विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति के अनुमोदन के बिना इस प्रकार नियत सीमा से अधिक कोई व्यय उपगत नहीं किया जायेगा;

(च) विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय प्रश्न पर स्वप्रेरणा से या प्रबंध बोर्ड या कुलपति के निर्देश पर अपने विचार प्रदान करना और प्रबंध बोर्ड को संस्तुति प्रदान करना।

(4) वित्त समिति वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगी। किसी बैठक में वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(5) कुलपति, वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, और उनकी अनुपस्थिति में बैठक में चयनित कोई सदस्य अध्यक्षता करेगा। सदस्यों में भिन्न-भिन्न राय होने की दशा में सदस्यों की बहुमत की राय अभिभावी होगी।

अन्य प्राधिकारी

27- अन्य प्राधिकारियों जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के रूप में घोषित किया जाये, के गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य उसी प्रकार होंगे जैसा विहित किये जायें।

परिदर्शन

28-(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी हैं और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या करायी गयी परीक्षा, अध्यापन-कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा;

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रदान करे, वहाँ विश्वविद्यालय को ऐसी नोटिस के प्राप्त होने पर ऐसी अवधि के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, ऐसा अभ्यावेदन, जैसा वह आवश्यक समझे, करने का अधिकार होगा;

(3) विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट निरीक्षण या जाँच करा सकती है;

(4) यदि, निरीक्षण या जाँच करवा ली गयी हो तो विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हकदार होगा जिसको ऐसे निरीक्षण या जाँच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा;

(5) राज्य सरकार उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के सन्दर्भ में कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह के सम्बन्ध में प्रबंध बोर्ड को संसूचित करेगा;

(6) यदि प्रबंध बोर्ड युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में कार्यवाही नहीं करता है तो राज्य सरकार ऐसे निर्देश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और प्रबंध बोर्ड ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा;

(7) यदि राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन कोई जाँच या निरीक्षण का आदेश किया गया है तो राज्य सरकार कुलाधिपति को, उपधारा (3) के अधीन किये गये आदेश की जाँच या निरीक्षण, और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश का पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियाँ भी भेजेगी।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को रद्द कर सकता है जो इस अधिनियम, परिनियम या अध्यादेशों के अनुरूप न हो:

परन्तु यह कि ऐसा आदेश देने के पूर्व कुलाधिपति विश्वविद्यालय से यह कारण बताने की अपेक्षा करेंगे कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जाये और बताये गये कारण पर यदि कोई हो, स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर विचार करेंगे।

29-इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियम में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकते हैं अर्थात्:- परिनियम

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों, जिनका गठन किया जाना आवश्यक पाया जाय, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों के सदस्यों के पद का चयन और उसकी निरन्तरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उनसे सम्बन्धित समस्त अन्य मामले जिनके लिए उपबन्ध करना विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक या वांछनीय समझा जाय;

(ग) पूर्ववर्ती मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के नियोजन में अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के बने रहने की निबन्धन और शर्तें;

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी सेवा, उनकी शक्तियों और कर्तव्यों एवं उपलब्धियों की निबन्धन और शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनके साथ संविदा;

(च) किसी संयुक्त परियोजना, को प्रारम्भ करने के लिये किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये किसी अन्य विश्वविद्यालय में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति की रीति, उनकी सेवा की निबन्धन और शर्तें तथा उपलब्धियाँ;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के अन्य सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारियों के निबन्धन और शर्तें;

(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के फायदे के लिये पेंशन या भविष्य-निधि का गठन और बीमा स्कीम की स्थापना;

(ञ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की ज्येष्ठता को प्रशासित करने वाले सिद्धान्त;

(ट) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी या किसी छात्र द्वारा किसी अपील के सम्बन्ध में प्रक्रिया;

(ठ) मानद उपाधियाँ प्रदान किया जाना;

(ड) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक, पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहन राशि को संस्थित किया जाना;

(ढ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ण) पीठों, विद्याशाखाओं और विभागों की स्थापना;

(त) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(थ) ऐसे समस्त विषय जो इस अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जायें या किये जा सकेंगे।

30-(1)विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे। परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

(2) प्रबंध बोर्ड समय-समय पर नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगा :

परन्तु यह कि प्रबन्ध बोर्ड किसी ऐसे परिनियम को तब तक नहीं बनायेगा, न संशोधित करेगा या न निरसित करेगा जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गटन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तन पर लिखित रूप से अपनी राय व्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त किसी राय पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचार न कर लिया गया हो:

परन्तु यह और कि प्रबन्ध बोर्ड राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसे परिनियम को न बनायेगा, न संशोधित करेगा या न निरसित करेगा जिससे विश्वविद्यालय के अधिकारियों और शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, नियोजन के निबन्धन एवं शर्तों और उपलब्धियों पर प्रभाव पड़ता हो।

(3) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या उनमें किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकता है अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा स्वयं द्वारा किये गये संप्रेक्षण, यदि कोई हो, के आलोक में विचार करने के लिए प्रबन्ध बोर्ड को भेज सकता है।

(4) विद्यमान परिनियमों को संशोधित या निरसित करने वाला कोई नया परिनियम या परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि उसके लिए कुलाधिपति की अनुमति न प्राप्त हो जाय, जो मामले का विनिश्चय करते समय सम्बन्धित विभाग के विचारों को ध्यान में रखेगा।

अध्यादेश

31-इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :-

(क) छात्रों का प्रवेश, पाठ्यक्रम और उसके लिए शुल्क, उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र एवं अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताएं प्रदान करने से सम्बन्धित अर्हताएं, अध्येतावृत्ति और पुरस्कार एवं तत्समान को प्रदान करने के लिए शर्तें;

(ख) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अन्तर्गत परीक्षकों के पद एवं उनकी नियुक्ति की सेवाशर्तें भी हैं;

(ग) छात्रों के निवास की शर्तें और उनका सामान्य अनुशासन;

(घ) कर्मचारियों और विश्वविद्यालय या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रकिया;

(ङ) कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निपटारे की प्रकिया;

(च) किसी व्यथित कर्मचारी या छात्र द्वारा अपील की प्रकिया;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाए रखना;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आचरण एवं कर्तव्यों का विनियमन और विश्वविद्यालय के छात्रों के आचरण का विनियमन;

(झ) अवचार की श्रेणी जिसके लिए इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन कार्यवाही की जा सकती है;

(ञ) कोई अन्य विषय जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन अध्यादेशों द्वारा उपलब्ध किये जाएंगे या किये जा सकते हैं।

विनियम

32-विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम ऐसी रीति से बना सकते हैं जैसा कि अपने कारबार के संचालन के लिए विहित किया जाय, जिसके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में उपलब्ध नहीं किया गया है।

मानद उपाधि

33-यदि विद्या परिषद के दो तिहाई सदस्य से अन्यून सदस्य यह संस्तुत करते हैं कि किसी व्यक्ति को मानद उपाधि या विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि इस आधार पर दे दी जाय कि वह उनकी राय में विशिष्ट उपलब्धि और पद के कारण ऐसी उपाधि या विद्या सम्बन्धी सम्मान प्राप्त करने के लिए योग्य और उपयुक्त है, तो कुलाधिपति किसी आदेश द्वारा यह विनिश्चिय कर सकते हैं कि उक्त उपाधियाँ संस्तुत व्यक्ति को प्रदान की जा सकती हैं।

उपाधि या डिप्लोमा का वापस लिया जाना

34-(1) प्रबन्ध बोर्ड विद्या परिषद की संस्तुति पर किसी व्यक्ति को प्रदान या स्वीकृत किये गये किसी सम्मान, उपाधि, डिप्लोमा या विशेषाधिकार का बोर्ड के उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किसी संकल्प द्वारा वापस ले सकता है, यदि ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें, बोर्ड की राय में, नैतिक अधमता अनतर्वलित हो या वह घोर अवचार का दोषी रहा हो।

(2) आधार (1) के अधीन किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न प्रदान कर दिया गया हो।

(3) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की प्रति तत्काल सम्बन्धित व्यक्ति को प्रेषित की जाएगी।

(4) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिए गये विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(5) प्रबन्ध बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अनुशासन

35-(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी कुलपति होगा। उस निमित्त कुलपति के निर्देशों का कार्यान्वयन विभाग, छात्रावासों और संस्थाओं के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी छात्र का किसी परीक्षा से विवर्जित करने या विश्वविद्यालय से निष्कासित करने के किसी शास्ति पर कुलपति की रिपोर्ट पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा या उसे अधिरोपित किया जायेगा :

परन्तु यह कि कोई ऐसी शास्ति सम्बन्धित छात्र को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं की जायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

36-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबन्ध बोर्ड द्वारा तैयार की जायेगी जिसके अन्तर्गत, अन्य विषयों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम भी हैं।

(2) इस प्रकार तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति के समक्ष शैक्षणिक वर्ष के पूर्ण होने के दिनांक से छः माह के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसे यथाशक्य शीघ्र विधान सभा में रखवायेगी।

वार्षिक लेखा

37-(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अध्यधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी।

(2) संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति प्रबंध बोर्ड के प्रेक्षण सहित, यदि कोई हो, कुलाधिपति और कोर्ट को प्रस्तुत की जायेगी ।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कोर्ट द्वारा किया गया कोई संप्रेक्षण प्रबंध बोर्ड के ध्यान में लाया जायेगा और इन संप्रेक्षणों पर की गयी कार्यवाही को कोर्ट द्वारा विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर कोर्ट और कुलाधिपति के ध्यान में लाया जायेगा।

(4) कुलाधिपति को यथा प्रस्तुत संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी जो, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदनों के समक्ष रखवायेगी।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और गैरशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति, निबन्ध और शर्तें एवं परिलब्धियां

38-विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, के नियोजन के निबन्धन और उनकी शर्तें उनकी नियुक्ति की रीति और कर्मचारियों को दी जाने वाली परिलब्धियाँ ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

39-(1) विद्यमान कर्मचारियों से भिन्न प्रत्येक कर्मचारी, जिसे नियमित आधार पर या अन्यथा नियुक्त किया गया हो के साथ विश्वविद्यालय एक लिखित सेवा संविदा करेगा और संविदा के निबन्धन और शर्तें इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के उपबन्धों के साथ असंगत नहीं होंगे।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट संविदा की एक प्रति विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी ।

माध्यस्थम अधिकरण

40-(1) विश्वविद्यालय और कर्मचारियों के मध्य, अथवा धारा 4 के उपबन्धों के निबन्धन में विश्वविद्यालय और विद्यमान कर्मचारियों के मध्य, धारा 40 में निर्दिष्ट किसी रोजगारपरक संविदा से उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबंध बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और एक अम्पायर (निर्णेता) होगा जिसे कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक निर्देश को प्रवृत्त माध्यस्थम् विधि के अर्थान्तर्गत इस धारा के निबन्धनों पर माध्यस्थम् को किया गया प्रस्तुतीकरण समझा जायेगा और उक्त विधि के समस्त उपबंध, उसकी धारा-2 को छोड़कर, तद्नुसार लागू होंगे।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चत किये गये किसी मामले के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा।

भविष्य निधि और पेंशन निधि

41-विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जैसी विहित की जाये, ऐसी भविष्य-निधि या पेन्शन निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा वह उचित समझे। विद्यमान संकाय और कर्मचारिवृन्द के सम्बन्ध में, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में प्रचलित भविष्य एवं पेंशन योजनायें लागू होंगी।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

42-यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है या वह सदस्य होने का हकदार है तो उस विषय को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

43-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के (प्रदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति, यथाशीघ्र सुविधानुसार, ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा की जायेगी जो उन सदस्यों को नियुक्त, चयनित या सहयोजित करता है जिसका स्थान रिक्त हो गया हो और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, चयनित या सहयोजित कोई व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता ।

रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

44-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमान्यता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

45-कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे वाद के बारे में जो इस अधिनिमय या परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी है या की जाने के लिये तात्पर्यित है, विश्वविद्यालय के विरूद्ध या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या अन्य कर्मचारी के आदेश या निर्देश के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के विरूद्ध किसी न्यायालय में संस्थित नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

46-विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति यदि इस प्रकार पदाभिहित कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, उसमें विनिर्दिष्ट विषय तथा व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जायेगी, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती, तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

47-यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाना और विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना

48-(1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक परिनियमों और अध्यादेशों को गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी परिनियमों और अध्यादेशों को बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब कि उसका सत्र कुल तीस दिन से अनधिक कालावधि का रहा हो, जो एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और जब तक कि कोई वाद का दिनांक नियत न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार अथवा अभिशून्य तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

उद्देश्य और कारण

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर एक स्वायत्त संस्थान है, जिसकी स्थापना सन् 1962 में की गयी थी। दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को मा0 मुख्यमंत्री जी ने इसे रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की की भांति आवासीय, गैर-सम्बद्धक विश्वविद्यालय बनाये जाने की घोषणा की थी। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि एक कानून बनाकर उक्त संस्थान को विश्वविद्यालय की प्रास्थिति प्रदान करके उसको अध्यापन और अनुसंधान केन्द्र के रूप में और अधिक दक्षतापूर्वक कार्य करने हेतु समर्थ बनाने की व्यवस्था की जाय ताकि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान और प्रबंध विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान की आवश्यकता को पूरा किया जा सके, उद्योग सम्बन्धी सुसंगत अनुसंधान और नवीनता को प्रोत्साहित किया जा सके और राष्ट्र तथा समाज की सेवा करने के लिये बेहतर कार्यक्षेत्र और अवसर का लाभ उठाया जा सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस0 के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 1052(2)/LXXIX-V-1--13-1(Ka)-18-2013

Dated Lucknow, September 30, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madan Mohan Malviya Proudyogiki Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 27, 2013 .

THE UTTAR PRADESH MADAN MOHAN MALAVIYA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACT, 2013

(U.P. ACT NO. 22 OF 2013)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the reconstitution of the Madan Mohan Malaviya Engineering College, Gorakhpur as Madan Mohan Malaviya University of Technology and to incorporate it as a non-affiliating, teaching and research University at Gorakhpur to facilitate and promote studies, research, technology incubation, product innovation and extension work in Science, Technology and Management Education, and also to achieve excellence in higher technical education and other matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS the Madan Mohan Malaviya Engineering College is an institution of the Government of Uttar Pradesh affiliated to the Gautam Buddh Technical University, Lucknow;

AND WHEREAS it is expedient to confer on the said institution the status of a University to enable it to function more efficiently as a teaching and research centre to meet the requirement of higher education and research in the field of engineering and technology, applied sciences and management sciences, foster industry relevant research and innovation and to avail better scopes and opportunities to serve the society and the nation;

IT IS HEREBY enacted in the Sixty fourth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act shall be called the Uttar Pradesh Madan Mohan Malaviya University of Technology Act, 2013.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires :—

(a) "Academic Council," means the Academic Council of the University constituted under section 24;

(b) "Academic Staff" means such categories of staff as are designated by the Statutes to be the academic staff of the University;

(c) "Board of Management" means the Board of Management of the University constituted under section 22;

(d) "Campus" means the unit established or constituted by the University for making arrangements for instruction or research or both;

(e) "Chancellor", "Vice-Chancellor" and "Pro-Vice-Chancellor" means, respectively the Chancellor, the Vice-Chancellor and the Pro-Vice-Chancellor of the University;

(f) "Court" means the Court of the University constituted under section 20;

(g) "Department" means a department of studies of the University to be constituted under the provision of section 27;

(h) "Employee" means an employee of the University;

(i) "Existing Employee" means an employee of the erstwhile Madan Mohan Malaviya Engineering College who becomes an employee of the University under the provisions of sub-section (4) of section 5;

(j) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University constituted under section 26;

(k) "Hall" or "Hostel" means a unit of residence or of corporate life for the students of the University;

(l) "Misconduct" means a misconduct prescribed by the Statutes;

(m) "Prescribed" means prescribed by the Statutes of the University;

(n) "Registrar" means the Registrar of the University appointed under section 15;

(o) "Statutes", "Ordinances" or "Regulations", means respectively, the Statutes, Ordinances or Regulations of the University for the time being in force;

(p) "University" means the Madan Mohan Malaviya University of Technology established under section 4;

(q) "University teachers" means Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other persons as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University, and are designated as teachers by the Statutes.

Establishment and Incorporation of the University

3.(1) With effect from such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint, there shall be established a University at Gorakhpur by the name of the Madan Mohan Malaviya University of Technology, comprising the Chancellor, the Vice-Chancellor, the first members of the Court, the Board of Management, the Academic Council and the Finance Committee of the University and all such persons as may hereafter be appointed to such office or as members so long as they continue to hold such office or membership.

(2) The University shall be a body corporate.

(3) The University shall be engaged in teaching and research in emerging areas of higher education with focus on applied sciences, engineering, technology and management and shall promote inter-disciplinary education and research to achieve excellence in these and connected fields.

Effect of incorporation of University

4. On and from the commencement of this Act :—

(1) any reference to the Madan Mohan Malaviya Engineering College, Gorakhpur in any law (other than this Act) or in any contract or other instrument shall be deemed as a reference to the University;

(2) all property, movable and immovable, of or belonging to the Madan Mohan Malaviya Engineering College, Gorakhpur shall vest in the University;

(3) all the rights and liabilities of the Madan Mohan Malaviya Engineering College, Gorakhpur shall be transferred to, and be the rights and liabilities of the University;

(4) every person employed by the Madan Mohan Malaviya Engineering College, Gorakhpur immediately before the commencement of this act shall hold his office or service in the University by the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to pension, leave, gratuity, provident fund, and other matters as he would have held if this Act had not been passed, and shall continue to do so unless and until his employment is terminated or he has opted for the University's terms and conditions of employment ;

(5) notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, existing students of the Madan Mohan Malaviya Engineering College, Gorakhpur who joined classes before the establishment of the University under section-4 of this Act, shall continue to pursue their academic courses and programmes of study under the enrolment and affiliation of the Gautam Buddh Technical University, Lucknow, which shall conduct examinations for them and award degrees to them upon successful completion of the courses and programmes of study they are pursuing there at presently.

Objects of the University

5. The objects of the University shall be :—

(1) to evolve and impart comprehensive higher education with focus on applied science, engineering, technology, management and allied areas;

(2) to facilitate and promote studies leading to award of degrees, diplomas and certificates;

(3) to organize advanced studies and promote research, with a focus on basic and applied sciences, engineering, technology and management;

(4) to achieve excellence in science, engineering, technology, management and allied areas and matters connected therewith or incidental thereto;

(5) to be a change-agent that shall contribute to enable Science and Technology and related areas of industry to develop state-of-the-art products and services;

(6) to be industry relevant and to create an impact on the academic community in India and abroad;

(7) to be an open institution to attract the best minds of the world and to be completely globally integrated;

(8) to set up innovation foundations, science and technology parks, knowledge parks and technology incubators to foster techno-entrepreneurship, innovation and new product development;

(9) to disseminate knowledge and processes and their role in national development by organizing lectures, seminars, symposia, workshops and conferences;

(10) to promote and foster cultural and ethical values with a view to promote and foster professional morality, research integrity, globally acceptable business ethics and morals for professionals;

(11) to liaise with institutions of higher learning and research in India and abroad;

(12) to publish periodicals, treatises, studies, books, reports, journals and other literature on subjects relating to science, engineering, technology and management;

(13) to hold examinations and confer degrees and other academic distinctions;

(14) to undertake, study and training projects relating to science, engineering, technology and management;

(15) to establish school of studies and departments;

(16) to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the University.

6. The University shall have power :— Powers of the University

(i) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills;

(ii) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas and certificates to, and confer degrees and other academic distinctions on persons on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing;

(iii) to confer honorary degrees or other distinctions;

(iv) to organize and to undertake and extension services;

(v) to create and institute, with the approval of the State Government, professorships, associate professorships, assistant professorships and other teaching and academic positions required by the University and to appoint persons to such and other academic and research positions;

(vi) to recognize persons as professors, associate professors or assistant professors and others as teachers of the University;

(vii) to provide for the terms and conditions of service of teachers and other members of the academic or administrative staff appointed by the University, with the approval of the State Government;

(viii) to appoint persons working in any other university or organization as teachers of the University for a specified period;

(ix) to create ,with the approval of the State Government, administrative, ministerial and other posts in the University and to make appointments thereto;

(x) to co-operate or collaborate or associate with any other university, authority or institution of higher learning in such manner and for such purpose as the University may determine and with the prior approval of the Government in case of a Foreign University;

(xi) to enable the co-operation, collaboration or association of persons working in any other institution, with persons working in the University, for imparting instruction or supervising research, or both;

(xii) to build up a body of academia to perform academic functions, and to pay them remuneration in the manner prescribed;

(xiii) to set up central facilities like computer centre, instrumentation centre, central workshop, central library, auditorium etc.;

(xiv) to set up curriculum development cells for different subjects;

(xv) to make provision for research and advisory services and, for that purpose, to enter into arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(xvi) to determine standards for admission to the University which may include examination, evaluation or any other method of selection;

(xvii) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(xviii) to prescribe, demand and receive payment of fees and other charges;

(xix) to supervise the residence of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(xx) to make such special arrangements in respect of women students as the University may consider desirable;

(xxi) to regulate the conduct of the students of the University;

(xxii) to regulate the work and conduct of the employees of the University;

(xxiii) to regulate and enforce discipline among the employees and the students of the University and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary;

(xxiv) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the University;

(xxv) to receive benefactions, donations and gifts from persons and to name chairs, institutions, buildings and the like as the University may determine after the names of such reasons whose gift or donation to the University is worth such amount as the University may decide;

(xxvi) to create corpus fund for the University and transfer, in full or part, donations received from alumni, industries and other national and international organizations as may be approved by the Board of Management of the University and to decide the modalities for the utilization of such a corpus fund;

(xxvii) to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust and endowment properties for the purposes of the University except for the land acquired or building constructed with the assistance of the Government, in which case prior approval of the Government shall be required;

(xxviii) to borrow, with the approval of the Government, on security of the property of the University, moneys for the purposes of the University;

(xxix) to assess the needs in terms of subjects, fields of specialization, levels of education and training of technical manpower, both on short and long term basis, and to initiate necessary programmes to meet these needs;

(xxx) to initiate measures to enlist the co-operation of the industry and other expert agencies to provide complementary facilities;

(xxxi) to prescribe a code of ethics, code of conduct and disciplinary rules for its employees and code of discipline for the students; and

(xxxii) to do all such other acts and things as may be necessary or incidental to the exercise of all or any of the powers of the University or necessary for or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

University open to all classes, castes, and creeds

7. (1) The University shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession or political opinion in order to entitle him to be appointed as a teacher of the University or to hold any other office therein or to be admitted as a student of the University, or to enjoy or exercise any privilege thereof.

(2) Nothing in this section shall prevent the University from making any special provision for the appointment or admission of women or persons belonging to the weaker sections of the society, and in particular, for persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Teaching in the University

8. (1) The teaching in connection with the degree, diploma and certificate programmes of the University shall be conducted in accordance with the Statutes, Ordinances and Regulations.

(2) The courses and curricula and the authorities responsible for organizing the teaching of such courses and curricula shall be such as may be laid drawn by the Ordinances.

Officers of the University

9. The following shall be the officers of the University :—

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) the Pro-Vice-Chancellor;

(d) the Deans;

(e) the Registrars;

(f) the Controller of Finance;

(g) the Controller of Examinations; and

(h) such other officers as may be declared by the Statutes to be the officer of the University.

Chancellor of the University

10. (1) The Governor of the Uttar Pradesh shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the head of the University and the Chairman of the Court and, if present, preside over the meetings of the court and at any convocation of the University.

(3) Every proposal for the conferment of an honorary degree shall require the approval of the Chancellor.

(4) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to furnish such information or records relating to the administration of the University as the Chancellor may call for.

(5) The Chancellor shall have such other powers as may be prescribed.

Vice-Chancellor of the University

11. (1) The Vice-Chancellor shall be a scholar of eminence in one of the areas of applied sciences, engineering and management, having administrative experience in a Post Graduate Degree level institution of higher learning.

(2) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from out of a panel of three names to be recommended by a Search cum Selection Committee consisting of a nominee of the Chancellor, Chairman All India Council for Technical Education or his nominee who is or has been a Vice Chancellor of a University, and Principal Secretary / Secretary, Technical Education, Government of Uttar Pradesh, who shall also be the convener of the Committee. The process for search and selection will be laid down by the Committee.

(3) Only such persons will be considered for selection as Vice Chancellor who have not attained the age of 65 years. Vice Chancellor will hold office for a period of three years or till 68 years of age, whichever is earlier.

(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the first Vice Chancellor of the University shall be appointed by the State Government.

(5) The other terms and conditions of appointment, emoluments and other conditions of service of the Vice Chancellor shall be such as as may be determined by the State Government by a specific or a general order issued in this behalf.

(6) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance in office of the Vice-Chancellor is detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, after making such enquiry as he may deem fit, by order, remove the Vice-Chancellor.

(7) During the pendency or in contemplation of any inquiry referred to in sub-section (6) the Chancellor may order that till further orders;-

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of the Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments which he was otherwise entitled under sub-section (5).

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

Powers and duties of the Vice-Chancellor

12. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall—

(a) exercise general supervision and control over the affairs of the University;

(b) give effect to the decisions of the authorities of the University;

(c) in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any convocation of the University;

(d) be responsible for the maintenance of discipline in the University;

(e) be responsible for holding and conducting the University examinations properly and at due times and for ensuring that the results of such examinations are published expeditiously and that the academic session of the University starts and ends on proper dates.

(2) He shall be *ex-officio* Chairman of the Board of Management, Academic Council and the Finance Committee.

(3) He shall have the right to speak in and otherwise to take part in the meeting of any other authority or body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.

(4) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinance.

(5) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Court, the Board of Management the Academic Council and the Finance Committee, provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(6) Where any matter, other than the appointment of academic or non-academic staff of the University, is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit and shall forthwith report the action taken by him to the Chancellor and also to the officer, authority, or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter:

Provided that no such action shall be taken by the Vice-Chancellor without the previous approval of the Chancellor, if it would involve a deviation from the provisions of the Statutes or the Ordinances:

Provided further that if the officers, authority, or other body is of opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor who may either confirm the action taken by the Vice-Chancellor or annul the same or modify it in such manner, as he thinks fit and thereupon, it shall cease to have effect or, as the case may be, take effect in the modified form, so however, that such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Vice-Chancellor:

Provided also that any person in the service of University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the Board of Management within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon, the Board of Management may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(7) Nothing in sub-section (6) shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.

(8) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as prescribed by the Statutes and the Ordinances.

Pro-Vice-Chancellor of the University

13. (1) The Vice-Chancellor, if he considers necessary, may appoint a Pro Vice-Chancellor from amongst the Professors of the University, with the approval of the Board of Management.

(2) The Pro-Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge his duties in addition to his duties as a Professor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice-Chancellor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters, as may be specified by the Vice-Chancellor on his behalf from time to time and shall preside over the meetings of the University in the absence of the Vice-Chancellor and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor.

(5) The Pro-Vice-Chancellor shall be paid honorarium, as may be prescribed.

The Deans

14. Every Dean shall be appointed in such manner, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

The Registrar

15. (1) The Registrar shall be a whole time Officer of the University.

(2) The Registrar shall be appointed by the State Government on such terms and conditions as may be prescribed.

(3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.

(4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University. He shall be *ex-officio* Secretary of the Board of Management. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Ordinances or required, from time to time, by the Board of Management or the Vice-Chancellor but he shall not, be entitled to vote.

(5) The Registrar shall not be offered nor he shall accept any remuneration for any work in the University save such as may be prescribed.

The Controller of Finance

16. (1) There shall be a Controller of Finance for the University, who shall be appointed by the State Government by a notification published in the *Gazette*, and his remuneration and allowances shall be paid by the University.

(2) The Controller of Finance shall be responsible for presenting the budget (annual estimates) and the statement of accounts to the Board of Management and also for drawing and disbursing funds on behalf of the University.

(3) He shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Board of Management but shall not be entitled to vote.

(4) The Controller of Finance shall have the duty :—

(a) to ensure that no expenditure, not authorised in the budget, is incurred by the University (otherwise than by way of investment);

(b) to disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or the terms of any Statutes or Ordinances;

(c) to ensure that no other financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularities pointed out during audit;

(d) to ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed.

(5) The Controller of Finance shall have access to and may require the production of such records and documents of the University and the furnishing of such information pertaining to its affairs as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.

(6) All contracts shall be entered into and signed by the Controller of Finance on behalf of the University.

(7) Other powers and functions of the Controller of Finance shall be such as may be prescribed.

The Controller of Examinations

17. (1) The Vice-Chancellor may appoint one of the Professors as the Controller of Examinations, who shall perform his duties in addition to his duties as a professor and shall be paid an honorarium at prescribed rates.

(2) The Controller of Examinations shall be responsible for the due custody of the records pertaining to his work.

(3) He shall be *ex-officio* Secretary of the Examinations Committee of the University and shall be bound to place before such committee all such information as may be necessary for transaction of its business.

(4) He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Ordinances as required, from time to time, by the Board of Management or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote.

(5) He may require, from any office or institute of the University, the production of such return or the furnishing of such information as may be necessary for the discharge of his duties.

(6) The Controller of Examinations shall have administrative control over the employees working under him.

(7) Subject to the superintendence of the Examinations Committee the Controller of Examinations shall conduct the Examinations and make all other arrangements thereof and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

Other Officers

18. The manner of appointment, emoluments, powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed.–

Authorities of the University

19. The following shall be the authorities of the University:-

(a) the Court;

(b) the Board of Management;

(c) the Academic Council;

(d) the Finance Committee; and

(e) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

The Court

20. (1) The Court of the University shall consist of the following persons:

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) five eminent persons in the disciplines of basic and applied sciences, engineering, technology and management, nominated by the State Government;

(d) the Principal Secretary or Secretary (Finance) to Government Uttar Pradesh *ex-officio*;

(e) the Principal Secretary or Secretary (Higher Education) to Government Uttar Pradesh *ex-officio*;

(f) the Principal Secretary or Secretary (Technical Education) to Government Uttar Pradesh *ex-officio*;

(g) a representative of the University Grants Commission;

(h) a representative of All India Council for Technical Education established under the All India Council for Technical Education Act, 1987 (Act no. 52 of 1987).

(2) The term of office of the nominated members of the Court, other than *ex-officio* members, shall be three years.

(3) Where a person has become a member of the Court by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office and appointment.

(4) A member of the court shall cease to be a member if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude. A member, other than the Vice-Chancellor, shall also cease to be member if he accepts a full time appointment in the University; or if he not being an *ex-officio* member fails to attend three consecutive meetings of the Court without the leave of the Chancellor.

(5) A member of the Court other than an *ex-officio* member may resign his office by a letter addressed to the Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by him.

(6) Any vacancy in the Court shall be filled by nomination by the respective nominating authority and on expiry of the period of the vacancy; such nomination shall cease to be effective.

Powers, functions and meetings of the Court

21. (1) Subject to the provisions of this Act, the Court shall review, from time to time, the broad policies and programmes of the University and suggest measures for the improvement and development of the University. The Court shall also have the following other powers and functions, namely :–

(a) to consider and pass resolutions on the annual report and the annual accounts of the University and the report of its auditors on such accounts;

(b) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice;

(c) to perform such other functions as may be prescribed.

(2) The Court shall meet at least once in a year.

(3) An annual meeting of the Court shall be held on the date to be fixed by the Board of Management, unless some other date has been fixed by the Court in respect of any year and meeting of the Court shall be presided over by the Chancellor when he is present.

(4) The annual report of the University during the previous year, together with annual accounts, the balance sheet as audited, shall be presented by the Vice-Chancellor to the Court at its annual meeting.

(5) In addition to the annual meeting, a meeting of the Court may be called by the Chancellor or by the Vice-Chancellor either on his own or at the request of not less than half the members of the Court.

(6) For every meeting of the Court,

(a) normally fifteen days notice shall be given;

(b) one-third of the members existing on the rolls of the Court shall form the quorum;

(c) each, member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Court, the person presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote;

(d) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.

(7) If urgent action by the Court becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Court. The action so proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Court. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Court. In case the authority concerned fails to take a decision the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

The Board of Management

22. (1) The Board of Management shall be the principal executive body of the University and as such, shall have all powers necessary to administer the University subject to the provisions of this Act and the Statutes made there under and may make Ordinances and regulations for that purpose and also with respect to matters provided hereunder.

(2) The Board of Management shall consist of the following persons, namely:–

(a) the Vice-Chancellor of the University;

(b) three eminent persons in the disciplines of science, engineering, technology and management, nominated by the Government;

(c) two Professors of the University nominated by the Government, on the recommendations of the Board of Management;

(d) two Deans of the University nominated by the Government, on the recommendations of the Board of Management;

(e) a representative of an Industry Association, nominated by the Government;

(f) the Principal Secretary or Secretary (Finance) to the Government *ex-officio;*

(g) the Principal Secretary or Secretary (Higher Education) to the Government *ex-officio;*

(h) the Principal Secretary or Secretary (Technical Education) to the Government *ex-officio;*

(i) such other member or members as may be prescribed.

(3) Where a person has become a member of the Board of Management by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

(4) The term of office of the nominated members of the Board of Management other than *ex-officio* members shall be three years.

(5) A member of the Board of Management shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude. A member, other than a Vice-Chancellor, Professor or Dean, shall also cease to be a member if he accepts a full time appointment in the University; or if he not being an *ex-officio* member fails to attend three consecutive meetings of the Board of Management without the leave of the Vice-Chancellor.

(6) A member of the Board of Management other than *ex-officio* member may resign his office by a letter addressed to the Vice-Chancellor and such resignation shall take effect, as soon as it has been accepted by the Vice-Chancellor.

(7) Any vacancy in the Board of Management shall be filled by nomination by the respective nominating authority and on expiry of the period of the vacancy; such nomination shall cease to be effective.

Powers, functions and meetings of the Board of Management

23. (1) The Board of Management shall be the principal executive authority of the University and, as such, shall have all powers necessary to administer the University subject to the provisions of this Act and the Statutes made thereunder and may make Ordinances and regulations for that purpose.

(2) The Board of Management shall have the following powers and functions, namely:–

(a) to periodically review the functioning of various academic departments, schools and research centres to ensure that they are functioning as per the aims and objects of the University and to give directions, as deemed necessary, for improvements;

(b) to take all necessary steps to ensure that the quality of academic instruction and research in the University meets the prescribed standards and the graduates of the university are able to obtain gainful employment or opportunities for higher education and to periodically review the progress in this regard;

(c) to present the following to the Court at its annual meeting :-

(i) annual report of the University; and

(ii) annual accounts;

(d) to manage and regulate the finances, accounts, investments, properties, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose, constitute committees and delegate the powers to such committees or such officers of the University as it may deem fit;

(e) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income, in or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying;

(f) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and, for that purpose to appoint such officers as it may think fit;

(g) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(h) to entertain, adjudicate upon, and if it thinks fit, to redress any grievances of the officers, the teachers, the students and the employees of the University;

(i) to create, with the approval of the Government, and appoint persons to academic as well as other posts in the Institute;

(j) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances after consulting the Academic council;

(k) to select a common seal for the University;

(l) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary or imposed on it by or under this Act.

(3) The Board of Management shall meet, at least, once in three months and not less than fifteen days notice shall be given for such meetings.

(4) The meetings of the Board of Management shall be called by the Registrar under instructions of the Vice-Chancellor or at the request of not less than five members of the Board of Management.

(5) Every meeting of the Board of Management shall be presided over by the Vice-Chancellor and in his absence by a member chosen by the members present.

(6) One-third of the members of the Board of Management shall form the quorum at any meeting.

(7) All decisions of the Board shall be taken on the basis of the opinion of the majority of the members who are present in any meeting. Each member of the Board of Management shall have one vote and if there be equality of votes the Chairman of the Board of Management or, as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.

(8) If urgent action by the Board of Management becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Board of Management. The action so proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Board of Management. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Board of Management. In case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

The Academic Council

24. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the control and regulation of, and be responsible for, the maintenance of standards of instruction, education, research and examination within the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.

(2) The Academic Council shall have the right to advise the Board of Management on all academic matters.

(3) The Academic Council shall consist of the following persons, namely:–

(a) the Vice-Chancellor who shall be the Chairman;

(b) three persons from amongst educationists of repute or men of letters or eminent industrialists from disciplines of science, engineering and management, who are not in the service of the University, and nominated by the State Government;

(c) a nominee of the University Grants Commission;

(d) a nominee of the All India Council of Technical Education;

(e) a nominee of the industry association;

(f) all Deans of the University;

(g) three professors nominated by the Vice-Chancellor on rotation as per seniority;

(h) all Heads of the schools/departments;

(i) Controller of examinations;

(j) two members of the teaching, staff, one each respectively representing the associate professors and assistant professors nominated by the Vice-Chancellor;

(k) such other members as may be prescribed.

(4) The term of the members of the Academic Council, other than *ex-officio* members, shall be three years.

Powers, functions and meetings of the Academic Council

25. (1) Subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations and overall supervision of the Board of Management, the Academic Council shall manage the Academic affairs and matters in the University and in particular shall have the following powers and functions, namely :–

(a) to report on any matter referred, or delegated, to it by the Board of Management;

(b) to make recommendations to the Board of Management with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the emoluments payable and the duties attached thereto;

(c) to formulate and modify or revise schemes for the organization of the faculties, and to assign to such faculties their respective subjects and also to report to the Board of Management as to the expediency of the abolition or sub-division of any faculty or the combination of one faculty with another;

(d) to recommend arrangements for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University;

(e) to promote research within the University and to require from time to time, reports on such research;

(f) to consider proposals submitted by the faculties;

(g) to lay down policies for admissions to the University;

(h) to recognize diplomas and degrees of other Universities and Institutes or Institutions and to determine their equivalence in relation to the certificates, diplomas and degrees of the Universities;

(i) to fix, subject to any conditions accepted by the Board of Management, the time, mode and conditions of the competition for Fellowships, Scholarships and other prizes and to recommend for award of the same;

(j) to make recommendations to the Board of Management with regard to the appointment of examiners and, if necessary, their removal and fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;

(k) to recommend arrangements for the conduct of examinations and the dates for holding them;

(l) to declare or review the result of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honours, diplomas, licences, titles and marks of honour;

(m) to recommend stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;

(n) to approve the syllabus for the prescribed courses of study and to approve or revise lists of prescribed or recommended text books and to publish the same;

(o) to approve such forms and registers as are, from time to time, required by the Ordinances and regulations;

(p) to formulate, from time to time, the desired standards of education to be adhered in drawing up the curriculum and syllabi for being taught in the University;

(q) to perform, in relation to academic and research matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act and the Ordinances and regulations made thereunder.

(2) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than three times, during an academic year.

(3) Every meeting of the Academic Council be presided over by the Vice-Chancellor and in his absence by a member chosen by the members present.

(4) One-third of the members of the Academic Council shall form the quorum at any meeting.

(5) All decisions of the Academic Council shall be taken on the basis of the opinion of the majority of the members who are present in any meeting. Each member of the Academic Council shall have one vote and if there be equality of votes the Chairman of the Academic Council or, as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.

(6) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Chairman of the Academic Council may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Academic Council. The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to, by a majority of the members of the Academic Council. The action so taken shall forthwith be intimated to all the members of the Academic Council. In case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

The Finance Committee

26. (1) There shall be a Finance Committee constituted by the Board of Management consisting of ;

(a) the Vice-Chancellor – Chairman;

(b) the Principal Secretary or Secretary (Finance) to Government *ex-officio;*

(c) the Principal Secretary or Secretary (Technical Education) to Government *ex-officio;*

(d) two other members nominated by the Board of Management from amongst its members, of whom at least one should not be an employee of the University;

(e) the Registrar of the University;

(f) the Controller of Finance will be the member secretary;

(g) such other members as may be prescribed by the Statutes.

(2) The members nominated under clause (d) of sub-section (1) may hold office only so long as they continue as members of the Board of Management.

(3) The functions and duties of the Finance Committee shall be as follows:–

(a) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Board of Management;

(b) to consider proposals for new expenditure and to make recommendations to the Board of Management;

(c) all proposals relating to revision of grades, up-gradation of the pay-scales and those items which are not included in the budget, shall be examined by the Finance Committee before they are considered by the Board of Management;

(d) to consider the annual accounts and the financial estimates of the University, prepared by the Controller of Finance and laid before the Finance Committee for approval and thereafter submitted to the Board of Management;

(e) to fix the limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the year, based on income and resources of the University, and no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits so fixed, without the approval of the Finance Committee;

(f) to give its views and to make recommendations to the Board of Management on any financial question affecting the University either on its own initiative or on reference from the Board of Management or the Vice-Chancellor.

(4) The Finance Committee shall meet, at least, four times in a year. Three members of the Finance Committee shall form the quorum at any meeting.

(5) The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Finance Committee, and in his absence, a member elected at the meeting shall preside. In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority of the members present shall prevail.

Other authorities

27. The constitution, powers and functions of the other authorities which may be declared by the Statutes to be the authorities of the University, shall be such as may be prescribed.

Visitation

28. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons as may direct, of the University, a college maintained by the University, its buildings, laboratories and equipment, and also of the examination, teaching and other work conducted or done by the University, and to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration or finances of the University.

(2) Where the State Government gives notice to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1) the University shall, on receipt of such notice, have the right to make such representation, as it may consider necessary, within such period as specified in the notice.

(3) After considering the representation, if any, made by the University, the State Government, may cause to be made any inspection or inquiry referred to in sub-section (1).

(4) In case, an inspection or enquiry has been caused to be made, the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(5) The State Government, shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (3) and the Vice-Chancellor shall communicate to the Board of Management the views with such advice as the State Government may offer offer upon the action to be taken thereon.

(6) In case, the Board of Management does not, within a reasonable time; take action, to the satisfaction of the State Government, the State Government, may issue such directions as it may think fit and the Board of Management shall comply with such directions.

(7) If an inquiry or inspection has been ordered under this section by the State Government then the State Government shall send to the Chancellor a copy of every report of the Inquiry or Inspection ordered under sub-section (3), and of every direction issued under sub-section (6) and also of every report or information received in respect of compliance or non-compliance with such directions.

(8) Without prejudice to the foregoing proyisions of this section, the Chancellor may, by order in writing, annul any proceeding of the University which is not in conformity with this Act, the Statutes or the Ordinances:

Provided that before making any such order, the Chancellor shall call upon the University to show cause why such an order should not be made and shall consider the cause shown, if any, within the time-limit specified by him.

Statutes

29. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:–

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be found necessary to be constituted;

(b) the selection and continuance in office of the members of the authorities and bodies of the University, the filling up of vacancies of members and all other matters relating thereto which the University may deem necessary or desirable to provide;

(c) terms and conditions for continuation of the teachers and other employees, in the employment of the erstwhile Madan Mohan Malaviya Engineering College, Gorakhpur;

(d) the manner of appointment of the officers of the University, terms and conditions of their service, their powers and duties and emoluments;

(e) the manner of appointment of the teachers of the University, other academic staff and other employees and the contract with them;

(f) the manner of appointment of teachers and other academic staff working in any other University for a specified period for undertaking a joint project, their terms and conditions of service and emoluments;

(g) the terms and conditions of service of the teachers and other members of the academic staff appointed by the University;

(h) the terms and conditions of other employees appointed by the University;

(i) the constitution of the pension or the provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of the employees of the University;

(j) the principles governing the seniority of employees of the University;

(k) the procedure for any appeal by an employee or a student of the University;

(l) conferment of honorary degrees;

(m) institution of fellowships, scholarships, studentships, medals, prizes and other incentives;

(n) maintenance of discipline among the employees of the University;

(o) establishment of chairs, schools of studies and departments;

(p) the delegation of powers vested in the authorities or the officers of the University;

(q) all other matters which, by or under this Act, are to be, or may be, provided for by the Statutes.

Statutes how made

30. (1) The first Statutes of the University shall be made by the State Government by notification in the *Gazette*.

(2) The Board of Management may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) :

Provided that the Board of Management shall not make, amend or repeal any Statutes affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given a reasonable opportunity of expressing its opinion in writing on the proposed change and any opinion so expressed within the time specified by the Board of Management has been considered by the Board of Management :

Provided further that the Board of Management shall not make, amend or repeal any Statutes affecting the manner of appointment, terms and conditions of employment and emoluments of the officers and academic and non-academic employees of the University without the prior approval of the State Government.

(3) Every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal thereof shall require the approval of the Chancellor, who may assent thereto or withhold his assent or remit it to the Board of Management for reconsideration in the light of the observations, if any, made by him.

(4) A new Statute or a Statute amending or repealing existing Statutes shall not be valid unless it has received the assent of the Chancellor, who will take into consideration, views of the concerned department while deciding the matter.

Ordinances

31. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for or any of the following matters, namely :–

(a) the admission of students, the courses of study and the fees therefor, the qualifications pertaining to the award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the conditions for the grant of fellowships and awards and the like;

(b) the conduct of examinations, including the terms and conditions of office and appointment of examiners;

(c) the conditions of residence of students and their general discipline;

(d) the procedures for the settlement of disputes between the employees and the University, or between the students and the University;

(e) the procedures for the settlement of disputes between the employees or students;

(f) the procedure for any appeal by an aggrieved employee or a student;

(g) maintenance of discipline among the students of the University;

(h) regulation of the conduct and duties of the employees of the University and regulation of the conduct of the students of the University;

(i) the categories of misconduct for which action may be taken under this Act or the Statutes or the Ordinances;

(j) any other matter which, by or under this Act or the Statutes, is to be, or may be provided for by the Ordinances.

(2) The first Ordinances shall be made by the Vice-Chancellor with the prior approval of the State Government and the Ordinances so made may be amended, repealed or added to, at any time by the Board of Management in such manner as may be prescribed.

Regulations

32. The authorities of the University may make regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances, in such manner as may be prescribed for the conduct of their own business and that of the committees, if any, appointed by them not provided in this Act, the Statutes or the Ordinances.

Honorary degree

33. If not less than two-third of the members of the Academic Council recommend that an honorary degree or academic distinction be conferred on any person on the ground that he is, in their opinion, by reason of eminent attainment and position, fit and proper to receive such degree or academic distinction, the Chancellor may, by an order, decide that the same may be conferred on the person recommended.

Withdrawal of degree or diploma

34. (1) The Board of Management may, on the recommendation of the Academic Council, withdraw any distinction, degree, diploma or privilege conferred on, or granted to, any person, by a resolution passed by the majority of the members of the Board present and voting at the meeting, if such person has been convicted by a court of law for an offence, which, in the opinion of the Board, involves moral turpitude or if he has been guilty of gross misconduct.

(2) No action under sub-section (1) shall be taken against any person unless he has been given opportunity to show cause against the action proposed to be taken.

(3) A copy of the resolution passed by the Board of Management shall be immediately sent to the person concerned.

(4) Any person aggrieved by the decision taken by the Board of Management may appeal to the Chancellor within thirty days from the date of receipt of such resolution.

(5) The decision of the Chancellor in such appeal shall be final.

Discipline

35. (1) The final authority responsible for maintenance of discipline among the students of the University shall be the Vice-Chancellor. The directions of the Vice-Chancellor in that behalf shall be carried out by the Heads of Department, hostels and institutions.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the punishment of debarring a student from an examination or rustication from the University shall, on the report of the Vice-Chancellor, be considered and imposed by the Board of Management :

Provided that no such punishment shall be imposed without giving the student concerned the opportunity of being heard.

Annual Report

36. (1) The annual report of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects.

(2) The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor within six months from the date of completion of the academic year.

(3) A copy of the annual report, prepared under sub-section (1), shall be submitted to the State Government which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the Legislative Assembly.

Annual Accounts

37. (1) The annual accounts and the balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall, at least, once every year at intervals of not more than fifteen months, be audited, by the Director, Local Fund Accounts, Uttar Pradesh or by such person or persons as the State Government may authorise in this behalf.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the chancellor and the Court along with the observations, if any, of the Board of Management.

(3) Any observation made by the Court on the annual account shall be brought to the notice of the Board of Management and the action taken on these observations shall be brought to the notice of the Court and the Chancellor within the time period specified by the Court.

(4) A copy of the annual accounts together with the audit report, as submitted to the Chancellor, shall also be submitted to the State Government, which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the houses of State Legislature.

Appointment of Terms and Conditions of Employment and Emoluments of Academic and Non-Academic Staff of the University

38. The terms and conditions of employment of all employees of the University, academic as well as non-academic, the manner of their appointment and the emoluments to be paid to the employees will be such as may be prescribed.

Conditions of service of employees

39. (1) The University shall enter into a written contract of service with every employee, other than existing employees, appointed, on regular basis or otherwise, and the terms and conditions of the contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances.

(2) A copy of the contract referred to in sub-section (1) shall be lodged with the University and a copy thereof shall also be furnished to the employee concerned.

Tribunal of Arbitration

40. (1) Any dispute, arising out of a contract of employment referred to in section 4 between the University and the employee, or between the University and the existing employees in terms of the provisions of section 4, shall be referred to a tribunal of Arbitration which shall consist of one member nominated by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and an umpire to be nominated by the Chancellor.

(2) Every such reference shall be deemed to be a submission to arbitration on the terms of this section within the meaning of the Law of Arbitration as in force, and all the provisions of that Law with the exception of section 2 thereof, shall apply accordingly.

(3) The procedure for regulating the work of the Tribunal of arbitration shall be such as may be prescribed.

(4) The decision of the Tribunal of Arbitration shall be final and binding on the parties, and no suit shall lie in any court in respect of any matter decided by the Tribunal.

Provident and Pension Funds

41. The University shall constitute for the benefit of its employees such provident fund or pension fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed. As regards existing faculty and staff, the provident and pension schemes prevailing to their services in the Madan Mohan Malaviya Engineering College, Gorakhpur will be applicable.

Disputes as to the constitution of the University authorities and bodies

42. If any question arises as to whether any person has been duly appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Filling of casual vacancies

43. All the casual vacancies among the members (other than *ex-officio* members) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be convenient, by the person or body who appoints, elects or co-opts the members whose place has become vacant and any person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills, would have been a member.

Proceedings of the University authorities or bodies not invalidated by vacancies

44. No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be invalidated merely by reason of the existence of any vacancy or vacancies among its members.

Protection of action taken in good faith

45. No suit or other legal proceeding shall lie in any court against the University or against any authority, officer or employee of the University or against any person or body of persons acting under the order or direction of any authority or officer or other employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the Statutes or the Ordinances.

Mode of proof of the University record

46. A copy of any receipt, application, notice, order, proceedings, resolution of any authority or committee of the University, or other documents in the possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar so designated shall, notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) or in any other law for the time being in force, shall be admitted as evidence of the matters and transactions specified therein, where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

Power to remove difficulties

47. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

Statutes and Ordinances to be published in the Official Gazette and to be laid before the Legislature

48. (1) Every Statutes and Ordinances made under this Act shall be published in the *Gazette*.

(2) All Statutes and Ordinances made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than thirty days, which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette* subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period, agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

STATEMENTS OF OBJECTS AND REASONS

The Madan Mohan Malviya Engineering College, Gorakhpur is an autonomous institution established in the year, 1962. The Chief Minister had declared on October 31, 2012 to make it a residential non-affiliating University like that of the Roorki University, Roorki. It has, therefore, been decided to make a law to provide for conferring on the said institution the status of the University to enable it to function more efficiently as a teaching and research centre to meet the requirement of higher education and research in the field of the engineering and technology, applied science and management sciences, foster industry relevant research and innovation and to avail better scopes and opportunities to serve the society and the nation.

The Uttar Pradesh Madan Mohan Malviya University of Technology Bill, 2013 is introduced accordingly.

By order,
S. K. PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 453 राजपत्र(हि0)–2013–(978)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 81 सा0विधायी–2013–(979)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

\\Data2\d\Vidhaika_2013_Sept\453 RPH Malviya_University_Eng.doc